

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला अंमालनगर

गुरवत सिंह

वनाय

केहर सिंह आदि


संख्या

52

2022

अन्तगत धारा

313 RTA

क्र	आदेश या कार्यवाही मय इत्याक्षर ज्ञान	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
09/13	<p>प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं। तलवी हेतु सम्मन, तलवाना पेश नहीं। अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 10/10/23 को पेश हो। ⑥</p>	
10/25	<p>वकील फौजदारी उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 13/13/23 को पेश हो। <u>Karnal</u></p>	
12/13/23	<p>अधिवक्तागण उपस्थित श्री मान PO महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 6/24 को पेश हो। <u>Karnal</u></p>	
6/2/24	<p>प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थगिण की तलवी हेतु सम्मन, तलवाना पेश नहीं। अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 13/3/24 को पेश हो। ⑥</p>	
13/24	<p>प्राची व अप्रार्थ अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राची व अप्रार्थ अधिवक्ता को हुक-2 कर उबार आवाज लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। प्राची का प्राथमिक पत्र अन्तगत धारा 313 RTA इसी स्तर पर अद्य वर्तमान अद्य हाजरी से खारिज किया जाता है। पत्रावली विगति होकर नम्बर से कर होकर वापिस दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

